दहेज

प्रकाशक
'न्याय सदन'
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची

दहेज

प्रकाशक :

'न्याय सदन'
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची

दहेज

यह निर्मला की कहानी है। निर्मला हमारे समाज की एक लड़की है। कहा जाता है कि हमारी परम्परा है कि माँ–बाप के कहने के अनुसार बेटी को शादी के लिये राजी हो जाना चाहिये। निर्मला पढ़ाई पूरी करके नौकरी करना चाहती थी, पर उसने माता–पिता का कहना माना। 'परम्परा' के अनुसार, शादी में लड़के वाले दहेज माँगते हैं। निर्मला की शादी में भी उसके होने वाले सास–ससुर ने दहेज मांगा–एक फ्रिज, दो पंखे, घर का बहुत सारा सामान, दस तोले सोना और 50,000/– रूपये नकद। निर्मला के माता–पिता ने बहुत कठिनाई से, रिश्तेदारों से उधार लेकर घर को गिरवी रखकर यह सारा सामान लड़की को दहेज में दिया।

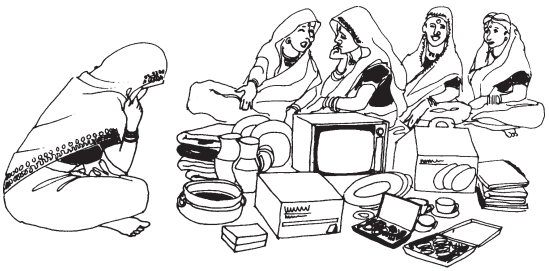

दहेज-परम्परा या लालच?

क्या करते ? 'परम्परा' जो ठहरी।

परम्परा के अनुसार, निर्मला की डोली माता–पिता के घर से निकली। परम्परा यह भी है कि 'मायके से डोली निकलती है और ससुराल से अर्थी ही निकलती है।' हम सब परम्परा के पुजारी हैं। निर्मला की भी अर्थी उसके सुसराल से निकली, शादी के आठ महीनों बाद। इन आठ महीनों में निर्मला को और दहेज लाने के

लिये इतना सताया गया था, कि वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई। निर्मला की कहानी यहाँ खत्म हो गई। परम्परा घर–घर में चलती रही। इसी तरह शान्ति की कहानी, नफीसा की कहानी, लक्ष्मी और मंजीत की कहानी भी खत्म हो गई। उनके माता–पिता, भाई–बहन, रिश्तेदार परम्परा से चेहरे ढक कर रोते रहे। यही हमारी परम्परा है– लड़कियों के लिये अर्थियाँ खरीदना।

सब यही कहते हैं–हम कर ही क्या सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? ऐसी घिनौनी परम्परा को उठा कर फेंक देना चाहिये।

कष्ट देने वाली, यह दहेज की घिनौनी परम्परा हमारे समाज से हम ही निकाल सकते हैं। सरकार ने हमारे हाथ मजबूत करने के लिये, हमारी सहायता के लिए कुछ खास कानून बनायें हैं। एक ऐसे कानून का नाम है, **दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961।**

आईये देखें हम इस कानून की किस तरह सहायता ले सकते हैं।

यह कानून कहता है :

- ❖ *दहेज देना अपराध है*
- ❖ *दहेज लेना अपराध है*

दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध हैं।

❖ ***दहेज लेने या देने में सहायता करना अपराध है***

आमतौर से शादी के रिश्ते किसी बिचोलिये या रिश्तेदार की सहायता से तय किये जाते हैं। *यह दलाल या वह रिश्तेदार दहेज की रकम तय करवाता है। कानून की नजर में, ऐसे लोग भी अपराधी हैं।* उन्हें भी वही सजा भुगतनी होगी जो दहेज लेने या देने वाले की है।

दहेज के लेन-देन में सहायता करना भी अपराध है।

❖ ***दहेज माँगना भी अपराध है***

दहेज माँगना अपराध है।

दहेज के लालच को कानून कड़ी नजर से देखता है। इसीलिये, *दहेज माँगने वाले को भी सजा दी जाती है। शादी के पहले भी दहेज की माँग की रपट लिखवाई जा सकती है।* दहेज माँगने वालों को उसी समय पुलिस में रपट लिखवाकर, समाज को इन लालची शिकारियों से बचाएँ।

❖ ***दहेज के लिये विज्ञापन या इश्तेहार देना भी कानूनी अपराध है।***

अक्सर लोग शादी के रिश्ते के लिये अखबारों में विज्ञापन देते हैं। लड़के गुणों, आमदनी इत्यादि के साथ–साथ दहेज की माँग भी बताई जाती है। *कानून के अनुसार, ऐसा विज्ञापन देने वाले को भी सजा और जुर्माना होगा।* लड़की वाले भी कभी–कभी ढोल पिटवाते हैं कि फलां–फलां की लड़की से शादी करने वाले को दहेज में इतनी रकम या जायदाद दी जायेगी। ऐसा करना भी कानूनी अपराध है जिसकी सजा कैद और जुर्माना है।

प्रेमलाल ने शान्ता से शादी के समय दहेज लिया। शादी के बाद वो उसको और दहेज के लिए सताने लगा। जब शान्ता ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई तब प्रेमलाल ने कहा कि वह दहेज लेने का आरोपी नहीं है और शान्ता उसकी पत्नी ही नहीं है क्योंकि उसकी एक और पत्नी है। दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुसार उसकी शादी अवैध है मगर प्रेमलाल ने दहेज लेने का अपराध किया है। शान्ता के पिता ने प्रेमलाल को पैसे दिये क्योंकि वह शान्ता का पति है। अगर शादी अवैध है किसी भी कारण, दहेज लेने का अपराध फिर भी किया है।

दहेज के लिए विज्ञापन देना अपराध है।

- ❖ अगर कोई अपनी या अपने लड़के या लड़की या रिश्तेदार की शादी में दहेज ले तो वह कानूनी अपराध करता है।
- ❖ यही नहीं, दहेज देने वाला भी कानून में अपराधी ठहराया जायेगा।

दहेज देने या लेने वाले के लिये सजा :

- ❖ पाँच साल तक की कैद
- ❖ पन्द्रह हजार रूपये जुर्माना या
- ❖ दहेज की रकम अगर 15,000/– रूपये से ज्यादा हो, तो उस रकम के बराबर जुर्माना।

रामलाल ने अपने बेटे मोहन की शादी में श्यामलाल से पच्चीस हजार रूपये दहेज के रूप में माँगे। श्यामलाल ने पच्चीस हजार रूपये दे दिए लेकिन उसकी बेटी सुनीता इस बात से खुश नहीं थी और उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। रामलाल को सजा के साथ–साथ दहेज की रकम जो कि पच्चीस हजार रूपये थी जुर्माने में देनी पड़ी।

दहेज माँगने की सजा :

- ❖ कम से कम 6 महीने की कैद और जुर्माना
- ❖ जुर्माना रूपये 10,000/–

दहेज लेने या देने वालों को सख्त सजा हो सकती है।

दहेज का विज्ञापन देने की सजा :

- ❖ कम से कम 6 महीने की कैद और
- ❖ 15,000/– रूपये तक का जुर्माना

तो क्या इसका मतलब है कि लड़की या लड़के को शादी ब्याह में कोई कुछ नहीं दे सकता ? जो लोग बिना दबाव के अपनी खुशी से वर–वधू को कुछ देना चाहें, क्या वे सब भी अपराधी हैं ?

नहीं। कानून यह जरूर कहता है कि दहेज में वे सभी चीजें आती हैं जो शादी के सिलसिले में वर–वधू या उनके रिश्तेदारों को दी जायें। *लेकिन, यह दहेज कानून के मुताबिक दिया गया हो, तो वह अपराध नहीं होगा।* यानि :

- ❖ दिये गये उपहारों की एक *सूची (लिस्ट)* बनानी होगी।
- ❖ इन उपहारों की *माँग न हुई हो, न ही उनके लिये कोई दबाव डाला गया हो।*
- ❖ वधू को दिये जाने वाले *उपहार पारम्परिक तौर के होने चाहियें। उनकी कीमत देने वाले की हैसियत या आर्थिक स्थिति के हिसाब से होनी चाहिए।*

कानून के मुताबिक

- ❖ अगर दहेज शादी के पहले लिया गया हो, तो *शादी की तारीख से तीन महीने के अन्दर* दहेज लड़की को देना होगा।
- ❖ अगर दहेज शादी के समय या शादी के बाद लिया गया हो, तो *लेने की तारीख से तीन महीने के अन्दर* लड़की को दे देना चाहिये।

- अगर दहेज तब लिया गया हो जब लड़की नाबालिग थी (यानि 18 साल से कम उम्र की) तो *18 साल की उम्र की होने के तीन महीने के अन्दर* दहेज उसे दे दिया जाना चाहिये।
- जब तक दहेज लड़की के अलावा किसी और के पास होता है, तब तक वह उस व्यक्ति के *'ट्रस्ट'* में होता है। इसका मतलब है, कि *उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि दहेज के सामान या रकम को सही सलामत रखा जाए और सही समय आने पर लड़की को लौटा दिया जाए।* जो लड़की की तरफ से दहेज लेता है, उसे कोई हक नहीं है कि वह दहेज को बेचे, खर्च करे, किसी को दे या खुद इस्तेमाल करे।
- *अगर कोई व्यक्ति कानून द्वारा तय किये गये समय में दहेज लड़की को नहीं लौटाता, तो उसकी शिकायत दर्ज करनी चाहिये। दहेज न लौटाने वालों को छः महीने से दो साल तक की जेल या पाँच से दस हजार रूपये तक जुर्माना, या फिर दोनों भी हो सकते हैं।*
- अगर ऐसे व्यक्ति से दहेज मिलने से पहले उस लड़की या औरत की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाये, तो ऐसे में महिला के वारिस होंगे– उसके बेटा/बेटी या फिर उसके माता–पिता। *उसके वारिस उस व्यक्ति से दहेज मांग सकते हैं जिसके पास दहेज रखा है।*

स्त्रीधन

जो भी सामान, जायदाद या सम्पत्ति लड़की को उसके दहेज में दी जाती है वह उसका स्त्रीधन है।

दहेज लड़की की अपनी अमानत होती है। वह उसके स्त्रीधन में शामिल है। वह जो चाहे, उससे कर सकती है। उस पर उसके अलावा किसी और का हक नहीं होता। अक्सर होता तो ऐसा है कि जो भी सामान, सम्पति या रकम लड़की की शादी में दी जाती है, वह उसके पति, सास–ससुर या दूसरे ससुराल वालों के हाथ में दे दी जाती है। लेकिन उस सारे सामान या सम्पति पर उस लड़की का ही हक रहता है। लड़की के अलावा अगर कोई और वह सामान लेता है तो उसे लड़की को लौटाना कानूनन आवश्यक है। यही नहीं, दहेज लड़की को कानून द्वारा तय किये हुए समय के अन्दर लौटाना होगा।

शादी के समय मिले उपहारों की सूची बनाना कानूनन आवश्यक है।

- ❖ दिये गये उपहारों की दो सूचियाँ बनेंगी।
- ❖ वधू को दिये गये उपहारों की सूची वधू को रखनी होगी।
- ❖ वर को दिये गये उपहारों की सूची वर को रखनी होगी।
- ❖ यह सूची शादी के समय या शादी के बाद जल्द से जल्द बनाई जानी चाहिए।
- ❖ यह सूची लिखित होनी चाहिये।
- ❖ इस सूची में हर उपहार का संक्षेप में विवरण होना चाहिये।
- ❖ उपहार की लगभग कीमत लिखी होनी चाहिये।

- ❖ उपहार देने वाले का नाम होना चाहिये।
- ❖ उपहार देने वाला वर या वधू का रिश्तेदार हो, तो क्या रिश्तेदारी है, यह लिखा होना चाहिये।
- ❖ सूची पर वर और वधू दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए।
- ❖ वर या वधू हस्ताक्षर न कर सकते हों, तो सूची उनको पढ़कर सुनाए जाने के बाद, उनके अंगूठों के निशान उस पर लगवाए जाने चाहिए।
- ❖ वर–वधू यदि चाहें, तो शादी के समय उपस्थित किसी रिश्तेदार या दूसरे व्यक्ति के हस्ताक्षर भी सूची पर करवा सकते हैं।

दहेज से संबंधित अपराधों की शिकायत कौन दर्ज करवा सकता है ?

- ❖ कोई पुलिस अफसर
- ❖ कोई व्यक्ति जो दहेज से पीड़ित हो
- ❖ किसी दहेज से पीड़ित व्यक्ति के माता–पिता या अन्य रिश्तेदार
- ❖ सरकार द्वारा मान्य कोई समाज सेवी संस्था

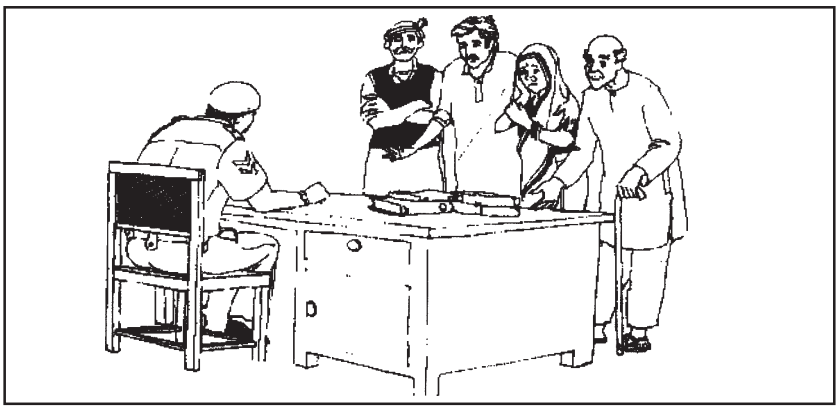

❖ कोर्ट को किसी मामले की खबर हो, तो खुद मुकदमा दर्ज कर सकते हैं।

दहेज की रपट लिखवाने की या मुकदमा चलाने के लिए कोई समय–सीमा नहीं है। लेकिन यह रपट जल्द से जल्द लिखवानी चाहिये।

दहेज से संबंधित अपराध :

❖ संज्ञेय हैं : यानि, थाने में शिकायत होने पर पुलिस मामले की तहकीकात कर सकती है–मैजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत नहीं है। हाँ, किसी को इस संबंध में गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी है।

❖ अजमानती हैं : यानि, मैजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, अपराधी को जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता।

❖ अशमनीय हैं : यानि, कोई जुर्माना भरने पर अपराधी कैद की सजा से नहीं छूट सकता।

इस कानून को बने बयालीस साल हो गये परन्तु दहेज का मर्ज फैलता ही जा रहा है। ऐसा क्यों ? क्योंकि केवल कानून बनना काफी नहीं है। उस कानून के जरिये हमें कदम उठाने होंगे।

यह तो हो गई शादी तक की बात। लेकिन अक्सर यह होता है कि दहेज के लिये लड़की को सताना, उस पर जुल्म करना, उसे मारना, पीटना, ताने देना, यहाँ तक कि जान से भी मार डालना, सब शादी हो जाने के बाद होता है। कई लड़कियाँ यह सलूक सहन नहीं कर पातीं, और आत्महत्या कर लेती हैं। इसलिये, *ऐसी स्थितियों के लिये, फौजदारी कानूनों में कुछ खास*

प्रबन्ध किये गये हैं, जिनसे दहेज के लिये लड़कियों को तंग करने वाले अपराधियों को सजा दी जाये। यह प्रबन्ध इन कानूनों में किया गया है :

- **भारतीय दंड संहिता 1860** : यह कानून हमें बताता है कि कौन–कौन सी चीजें अपराध हैं और उनके लिये दंड क्या है।
- **दंड प्रक्रिया संहिता 1973** : यह कानून हमें बताता है कि किसी अपराध की छानबीन इत्यादि कैसे की जाती है।
- **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872** : यह कानून हमें बताता है कि किसी अपराध को साबित करने के लिये कौन सी बातों को ध्यान में रखा जायेगा।

(धारा 498–क) भारतीय दंड संहिता–1860 क्या कहती है?

यदि किसी महिला का पति या पति के रिश्तेदार

- *उस महिला के साथ बुरा व्यवहार करे*
- *या फिर महिला या उसके रिश्तेदार या सम्बन्धी को धन या सम्पति लाने के लिये परेशान किया जाये*

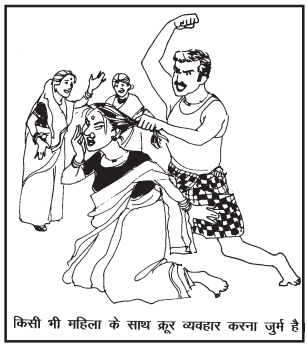
किसी भी महिला के साथ क्रूर व्यवहार करना जुर्म है

तो **धारा 498–क** के तहत यह क्रूरता कहलाती है।

इस धारा के तहत क्रूरता के दो रूप है :

- *शारीरिक क्रूरता या*
- *मानसिक क्रूरता*
- *या फिर दोनों*

शारीरिक क्रूरता का मतलब है :

इस कदर जानबूझकर महिला को मारना या सताना किः

- *उसकी जान को खतरा हो,*
- *उसके शरीर के अंगों को या*
- *उसके शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो।*

तो यह महिला पर की गई शारीरिक क्रूरता कहलायेगी।

मुकेश और मानसी की शादी को तीन साल हो गये थे। शादी के बाद पहले ही दिन मुकेश ने मानसी को इतना पीटा कि वह बेहोश हो गई। फिर तो यह एक आम घटना सी हो गई। मुकेश ने जलते हुये सिगरेट से जगह–जगह मानसी के शरीर पर दाग बना दिये थे। आखिर तंग आकर मानसी ने पति के खिलाफ शारीरिक क्रूरता करने के आरोप में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई।

मानसिक क्रूरता का मतलब है :

- *महिला को कमरे में बंद रखना, खाना–पीना बंद करना, उसे अपने परिवार वालों से न मिलने देना या*
- *महिला को काली या बदसूरत कहकर बुलाना।*

राहुल की शादी रीता से हुई। सुंदर न होने के कारण राहुल अक्सर उसे बदसूरत कहकर बुलाता था और धमकी देता था कि वह दूसरी शादी कर लेगा। यह भी मानसिक

क्रूरता है।

- *गाली–गलौच करना।*
- *अगर पति–पत्नी से बिना किसी कारण के शारीरिक संबंध बनाने से इन्कार कर देता है।*
- *अगर पति या उसके रिश्तेदार ऐसा व्यवहार करें जिससे औरत आत्महत्या करने के लिये मजबूर हो जाये।*
- *महिला या उसके रिश्तेदार या संबंधी को धन या सम्पति लाने या देने के लिये परेशान किया जाये।*

तो यह मानसिक क्रूरता का अपराध माना जायेगा।

रमेश और कमला की शादी को एक साल हुआ था। दहेज न देने के कारण रमेश उसे बहुत तंग करता था। कमला को उसके परिवार वालों से मिलने नहीं देता था। उसे कमरे में बंद रखता था और खाना भी नहीं देता था। यह मानसिक क्रूरता है।

महिला पर क्रूरता करने की क्या सजा है ?

- *तीन साल की कैद और*
- *जुर्माना*

शादीशुदा औरत से क्रूर व्यवहार की शिकायत थाने में कौन लिखवा सकता है ?

- ❖ लड़की खुद
- ❖ लड़की के पिता
- ❖ लड़की की माता
- ❖ लड़की का भाई
- ❖ लड़की की बहन
- ❖ लड़की की बुआ/फुफी
- ❖ लड़की की मौसी
- ❖ कोई और रिश्तेदार जिसका लड़की से खून का रिश्ता हो, शादी के जरिये रिश्ता हो, या गोद का रिश्ता हो। ये लोग सिर्फ कोर्ट की इजाजत से रपट लिखवा सकते हैं।

(धारा 198–A, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

दहेज हत्या

दहेज हत्या किसे कहते हैं ?

यह धारा दहेज हत्या के संबंध में बात करती है।

यदि किसी भी महिला की शादी के सात साल के अंदर असाधारण मौत हो जाती है (जैसे जलकर, फांसी लगाकर या फिर वह आत्महत्या कर लेती है) और मृत्यु से पहले उसे दहेज के लिये तंग किया जा रहा था तो यह दहेज हत्या होगी। ऐसा माना जायेगा कि उसके पति या उसके रिश्तेदार ने उसकी हत्या की है।

(धारा 304–ख, भारतीय दंड संहिता, 1860)

याद रखिये :

दहेज हत्या मानने के लिये तीन चीजों का पूरी होना जरूरी है :

- ❖ मृत्यु के पहले लड़की से दहेज की माँग की गई थी और उसे उसके लिये तंग किया जा रहा था।
- ❖ उसकी मृत्यु शादी के सात साल के अन्दर हो गई।
- ❖ वह एक असाधारण मौत थी।

अक्सर दहेज हत्या के मामलों में देखा जाता है कि मृतका की लाश को पंचनामा और पोस्टमार्टम कराए बगैर जला दिया जाता है और सभी सबूत नष्ट कर दिए जाते हैं। यह कानूनी अपराध है और इसके लिए अपराधी को तीन साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं।**(धारा 201 भारतीय दंड संहिता, 1860)**

दहेज हत्या के दोषी की सजा :

जो भी दहेज हत्या का दोषी साबित होगा उसे :

- ❖ कम से कम सात साल की कैद या
- ❖ फिर उम्र कैद होगी।

दहेज हत्या की कार्यवाही कैसे होगी ?

अगर कोई औरत आत्महत्या करती है, या ऐसा लगता है कि उसकी मृत्यु का जिम्मेदार कोई दूसरी व्यक्ति है, तो आपको तुरन्त पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करनी चाहिए। यह खबर मिलने पर पुलिस स्टेशन के मुख्य अधिकारी (एस.एच.ओ) को ये कदम उठाने होंगे :

- ❖ नजदीकी कार्यपालक मैजिस्ट्रेट को तुरन्त उसकी सूचना देनी होगी।
- ❖ पुलिस अफसर मृत्यु के कारणों की समीक्षा करेंगे।
- ❖ यह समीक्षा करने के लिये अफसर खुद वहाँ जायेंगे जहाँ मरी हुई औरत का शरीर रखा है।

- ❖ घटना के स्थान पर मोहल्ले के दो जाने–माने व्यक्तियों के सामने जाँच करके एक रपट बनानी होगी।

- ❖ रपट में मृत्यु का कारण क्या प्रतीत होता है घाव किस तरह के हैं, वगैरह, ये सब बातें होनी चाहियें।

- ❖ रपट पर पुलिस अफसर को और अन्य लोगों को हस्ताक्षर करने होंगे।

- ❖ फिर वह रपट जिलाधीश (डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट) या उप जिलाधीश (सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट) को भेजनी होगी।

- ❖ लाश अवश्य ही सिविल सर्जन (डॉक्टर) के पास जांच के लिये भेजनी होगी।

(धारा 17–A, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

- ❖ अगर पुलिस कोई कदम लेने या फिर सुनने से इंकार कर दे तो आप तुरंत उनके उच्च अधिकारी को रिपोर्ट करें।

'घरेलू हिंसा' से महिलाओं की सुरक्षा

'घरेलू हिंसा' से **महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005** 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। इसके अनुसार :–

- ❖ कोई भी महिला जो 'घरेलू संबंधों' में हिंसा की शिकार हो, वह अदालत से सुरक्षा का आदेश पाने के लिए प्रार्थना कर सकती है।
- ❖ घरेलू संबंधों में यहाँ वे सभी संबंध आते हैं जिनमें कोई महिला किसी और के साथ रहती हो। जैसे कि शादी के बाद, जन्म से, गोद लेने पर या संयुक्त परिवार में रहने वाले। इनमें वह भी शामिल है, जो कानूनन शादी के बिना ही पति–पत्नी के रूप में साथ रहते हो।

इस प्रकार पत्नी, बेटी, माँ या बिना शादी के साथ रहने वाली महिला मित्र इस कानून के अनुसार अदालत से सुरक्षा का आदेश पाने के लिए प्रार्थना कर सकती है।

'घरेलू हिंसा' किसे कहते हैं ?

हमारे समाज में महिलाओं को ऐसे कई हालातों का सामना करना पड़ता है जिन्हें घरेलू माहौल में 'आम' या 'मामूली' माना जाता है, लेकिन इस कानून में वह 'घरेलू हिंसा' मानी जा सकती है :–

- ❖ मीना का पति उससे अक्सर मार–पीट करता है।
- ❖ शांता की सास उसे रूप रंग पर ताने देती रहती है।
- ❖ नफीसा बानो के बेटे ने उससे सारी जायदाद और पैसे ले लिए हैं और अब उसकी बीमारी का इलाज कराने से भी

इन्कार करता है।

- ❖ सुनीता के चाचा उससे छेड़छाड़ करते रहते हैं और उसे अपने पास बैठने को मजबूर करते हैं।
- ❖ यासमीन स्कूल में पढ़ा कर जो भी कमाती है, उसका पति उसके पास नहीं रहने देता।
- ❖ रूपा का भाई अक्सर शराब पीकर उसे धमकाता रहता है कि उसे घर से निकाल देगा, क्योंकि वह घर पर बोझ बनी हुई है।
- ❖ शाहिदा का पति उसे मायके नहीं जाने देता।

ऊपर दिए सभी उदाहरण 'घरेलू हिंसा' माने जा सकते हैं और यह सभी महिलाएँ या उनके लिए कोई और भी अदालत में इसे रोकने के लिए प्रार्थना कर सकता है।

क्या अदालत के दखल देने पर इस प्रकार हिंसा करने वालों को जेल भी हो सकती है ?

गंभीर मामलों में आरोपियों को जेल भी भेजा जा सकता है। यह कानून इसीलिए बनाया गया है कि ऊपर बताए गए माहौल में कोई भी महिला सुखी और सुरक्षित अनुभव नहीं कर सकती। साथ ही यह भी उतना ही सच है कि संबधों को आसानी से तोड़ा भी नहीं जा सकता न ही उसका घर से अलग होना ही आसान होता है। ऐसे में यह कानून उसके माहौल में सुधार का एक मौका देता है। अदालत हिंसा करने वालों को सुरक्षा आदेश के माध्यम से रोक सकती है। फिर भी अगर हालात में बदलाव नहीं होता तो आगे भी कार्यवाही की जा सकती है।

ध्यान दें :– इस कानून के लागू हो जाने के बाद भी, गंभीर अपराधी हिंसा की शिकार महिला आरोपियों के खिलाफ अपराधी हिंसा का मामला दर्ज करा सकती है। पुलिस उसकी शिकायत दर्ज करने से इस कारण इन्कार नहीं कर सकती कि उसे पहले अदालत से **सुरक्षा के आदेश** की प्रार्थना करनी चाहिए थी।

आरोपियों के विरूद्ध क्या आदेश हो सकते हैं ?

1. *आरोपी/आरोपियों को हिंसा या उत्पीड़न करने वाला व्यवहार तुरंत बंद करने को कहा जा सकता है, साथ ही उनको उकसाने वालों और मदद करने वालों को भी रोकने का आदेश दिया जा सकता है।*

   - रूही का पति राशिद उसके साथ मार–पीट करता है, क्योंकि उसकी सास हमेशा उसकी शिकायत किया करती है और राशिद को 'उसे वश में रखने' को उकसाती रहती है। ऐसे में अदालत राशिद और उसकी माँ को रूही के साथ ऐसा बर्ताव रोकने का आदेश दे सकती है।
   - रानी मायके चली आई है, क्योंकि उसका पति रवि उसे मार–पीट करने की धमकी देता रहता था। अब वह उसके घर (मायके) और जिस फैक्ट्री में वो काम करती है, उसके चक्कर लगाने लगा है। वह उसके आगे–पीछे लगा रहता है और गालियाँ और धमकियाँ देता है। जब लोग उसे रोकते हैं, तो कहता है कि मेरी बीवी है उससे मिलने का मुझे पूरा अधिकार है। जब उसके साले ने उसे रोका तो वह उसे भी

धमकियाँ देने लगा।

2. अदालत, आरोपी/आरोपियों को वह घर बेचने से रोक सकती है जहाँ वह महिला रहती हो; उसे घर से निकालने से रोक सकती है। आरोपियों को उस घर या घर के हिस्से में जाने से भी रोका जाय। उस घर में जाने पर रोक लगा सकती है, या फिर उस महिला के रहने के लिए किसी दूसरी जगह का इंतजाम करने का आदेश दे सकती है।

3. आरोप लगाने वाली महिला को बच्चों का संरक्षण दे सकती है।

   ❖ जाहिरा ने अपने शौहर जलाल का घर छोड़ दिया क्योंकि वह अक्सर उससे मार–पीट करता था। उसने अदालत से गुहार की जिसने उसके पति को मार–पीट से बाज आने का आदेश दिया। कुछ दिन बाद जलाल उनकी बारह साल की बच्ची को स्कूल से ले गया। ऐसे में अदालत जाहिरा को बच्ची को रखने का हक दे सकती है।

4. हिंसा के आरोपी को उससे हुए किसी भी प्रकार की हानि के लिए मुआवजा, हर्जाना, इलाज का खर्चा और रहने का खर्चा देने का आदेश दे सकती है।

7. शिकायत करने वाली महिला और आरोपी दोनों को काउँसलिंग (सलाह) के लिए भेज सकती है। कोई प्रशिक्षित व्यक्ति उन दोनों को अपनी समस्याओं को समझने और शांति के साथ रहने में उनकी सहायता करे।

महिलाएँ ऐसा आदेश कैसे पा सकती है ?

महिला को 'सुरक्षा अधिकारी' के पास अपनी शिकायत करनी होगी जिसे इस काम के लिए हर जिले में नियुक्त किया जाएगा। वह मामले की जाँच कर अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेगा। तब अदालत शिकायत में आरोपी व्यक्ति को पेश होने का आदेश करेगी।

सुरक्षा अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह महिला की इस मामले में हर प्रकार से मदद करे; और अदालत के आदेशों के पालन को सुनिश्चित करें। अदालत में यह प्रार्थना सीधे भी की जा सकती है; जिसे की प्रपत्र–1 (फार्म–1) में करना होगा।

क्या हिंसा की शिकार महिला को खुद ही शिकायत करनी होगी और फार्म भरना होगा ?

महिला खुद या कोई दूसरा जिसे हिंसा की जानकारी हो, उसके लिए शिकायत कर सकता है।

यदि आदेश के बाद भी वह अपने गलत व्यवहार को नहीं बदलता तो क्या किया जाएगा ?

आरोपी यदि आदेशों के बाद भी नहीं बदलता तो उसे कैद या जुर्माने की सजा हो सकती है।

'सुरक्षा अधिकारी' के अपनी जिम्मेदारियों का पालन न करने पर उसे भी कैद या जुर्माने की सजा हो सकती है।

प्रकाशक

'न्याय सदन'

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

डोरण्डा, राँची

फोन : 0651–2481520, 2482392 फैक्स : 0651–2482397

ई–मेल : jhalsaranchi@gmail.com

वेबसाइट : http://www.jhalsa.nic.in

स्त्रोत : नई दिल्ली